न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ओ.पी.बिश्नोई, आर.ए.एस.

अपील संख्या 68/2020 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2020/00068)

मुखराम पुत्र सहीराम जाति जाट साकिन रतनादेसर तहसील रावतसर।

अपीलान्ट

बनाम

1. नंदराम पुत्र लाभुराम जाति जाट साकिन रतनादेसर तहसील रावतसर (मृतक)

1/1 शांति देवी पत्नी स्व. नंदराम जाति जाट साकिन रतनादेसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

1/2 राजबाला पुत्री नंदराम फौत

1/2/1 सुमन
1/2/2 सुरेन्द्र

नाबालिगान पि. राजबाला पत्नी रामप्रताप पुत्र जगदीश डूडी जाति जाट साकिन हिरणवाली तहसील हनुमानगढ जरिये वली पिता रामप्रताप पुत्र जगदीश डूडी।

1/3 मामराज
1/4 रामकुमार
1/5 विनोद कुमार

पि. स्व. श्री नंदराम जाति जाट साकिन रतनादेसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

2. भोमाराम पुत्र लादुराम जाति जाट साकिन रतनादेसर तहसील रावतसर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) रावतसर

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः 1. श्री सत्यपाल सहू – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री राजेश बैद – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1/3
3.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 28.08.2024**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, विविध प्रा. प. 12/2016 के निर्णय दिनांक 02.05.2018 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट नन्दलाल व भौमाराम ने उपजिलाधीश राजस्व नोहर के आदेश दिनांक 25.09.1977 के विरूद्ध जिला कलक्टर हनुमानगढ मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राज. भू राजस्व नियम 1970 पेश कर आवटन आदेश 25.09.1977 निरस्त फरमाया जाकर गांव रतनादेसर के ख. नं. 249 की 11 बीघा 15 बिस्वा व ख. नं. 266 की 9 बीघा भूमि को रकबा राज का आदेश फरमाने का निवेदन किया, जिस पर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 02.05.2018 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर गांव रतनादेसर के ख. नं. 249 की 11 बीघा 15 बिस्वा भूमि का आवंटन नियम 1970 के नियम 14 (4) के अन्तर्गत खारिज कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट मुखराम द्वारा यह अपील राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ कैम्प नोहर में प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 02.05.2018 को निरस्त करने का अनुतोष चाहा गया । राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ कैम्प नोहर द्वारा अपील सुनने का क्षेत्राधिकार नही होने पर अपील को इस न्यायालय को लौटाने पर इस न्यायालय मे यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया । रेस्पोडेन्ट सं. 1/1, 1/2/1, 1/2/2, 1/4, 1/5, 2, को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस सूचित किये जाने के बावजूद उपस्थित नही आये। इनके विरूद्व एक तरफा (Ex party) कार्यवाही अमल में लाई गई।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि अप्रार्थीगण के द्वारा आवेदन पत्र बिना किसी नियम कायदे के पेश किया जो चलने योग्य नही है, आवंटन आदेश दिनांक 25.09.1977 विधि सम्मत है तथा पूरी प्रक्रिया व जाचं करके अपीलान्ट को किया गया है। उक्त आवटन को हुए 41 वर्ष हो चुके है। तथा भू राजस्व अधिनियम की धारा 101 तथा नियम 18 के अधीन आवंटन के 10 वर्ष बाद उस आवंटन की शर्तो के अनुसार वह खातेदार काश्तकार बन जाता है। आवंटन आदेश 41 साल बाद कानूनन निरस्त नही किया जा सकता है। तथा यह अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट केवल शिकायत कर्ता है उसे आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार नही है अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर कोई गौर ही नही किया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार अपीलाधीन निर्णय दिनांक 02.05.2018 को अपास्त फरमाया जावे। तथा वादग्रत भूमि वाके रोही मौजा रतनाादेसर तहसील रावतसर के खं. नं. 249 की 11 बीघा 15 बिस्वा भूमि बावत भी आवटन दिनांक 25.09.1977 विधि सम्मत मानते हुए बहाल रखे जाने का आदेश फरमाया जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 1/3 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलान्ट ने आंवटन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर अपने या परिवार के नाम की भूमि का विवरण दिया जाना था लेकिन आवंटि द्वारा कोई विवरण नही दिया गया। अपीलान्ट द्वारा तथ्य छुपाकर भूमि आवंटित करवाई है। जो उसे भूमिहीन की श्रेणी मे नही होने के कारण आवटित नही की जा सकती थी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उचित निर्णय पारित किया गया है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ विश्लेषण किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत अपीलीय प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को वर्ष 1971 मे आवटित भूमि की अपील वर्ष 2016 में किया जाना पाया है, खातेदार को भूमि आवटन के लगभग 48 साल पश्चात आवंटन को चुनौति दिए जाने का ठोस, विश्वसनीय व संतोषप्रद कारण पत्रावली पर नही पाया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी म्याद बिन्दु के संबध में प्रतिपादित किया है कि :

IN THE SUPREME COURT OF INDIA, CIVIL APPELLATE JURISDICTION,CIVIL APPEAL NOS. 6414-6417 OF 2008 (Arising out of SLP(c) Nos.201011-21014 of 2007) Pundlik Jalam Patil (D) by Lrs. Versus Exe.Eng.Jalgaon Medium Project & Anr.

"For the aforesaid reasons, we hold that the high court gravely erred and exce rcised its discretion to condone the inordinate delay of 1724 days though no sufficient cause has been shown by the applicants. It is for that reason, we interfere with the decision of the high court and set aside the same. The appeals are accordingly allowed without any orders as to costs."

अधीनस्थ न्यायालय में न तो अपीलान्ट द्वारा धारा 5 म्याद अधिनियम का कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया व न ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा डिले कन्डोन संबंधी कोई विवेचन अपने निर्णय मे किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे आवंटन संबधी न तो सम्पूर्ण दस्तावेज पाए गए है व न ही प्रस्तुत दस्तावेज से यह

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

पूर्णतः सिद्व होता है कि मुखराम पुत्र सहीराम के हिस्से में वक्त आवंटन कितनी भूमि दर्ज रिकार्ड थी। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भूमिधारी तहसीलदार (राजस्व) रावतसर का जवाब/पक्ष भी नही पाया गया है जो भूमि आवटन अथवा अपील मे वर्णित बिन्दुओ पर कोई तार्किक तथ्य पेश करता हो। उक्त विवेचन व विश्लेषण के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.05.2018 संपूर्ण विवेचन विश्लेषण के अभाव मे पारित किए जाने के कारण बहाल रखे जाने योग्य नही पाया जाता है।

लिहाजा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर द्वारा पारित निर्णय 02.05.2018 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता है कि उपरोक्त विवेचनानुसार आवंटन किए जाने संबधी सम्पूर्ण दस्तावेजात का विवेचन विश्लेषण के साथ–साथ हितबद्व पक्षकारान की विधिवत सुनवाई की जाकर नए सिरे से निर्णय पारित करे। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 28.08.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर